न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 192/2012 | निर्णय दिनांक 07.10.2025

ऑनलाईन नम्बर 2012/00069

1. तारादेवी पुत्री भीखाराम पत्नी बजरंगलाल जाति ब्राह्मण (शर्मा) निवासी कल्याणसर नया तहसील श्रीडूंगरगढ. हाल श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—वादिनी—

बनाम

1. स्व. अचाराम पुत्र पूरखाराम जाति ब्राह्मण निवासी कल्याणसर नया तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

1/1 बादूदेवी पत्नी स्व. अचाराम
1/2 लालूराम
1/3 प्रभूराम
1/4 लिछमा
1/5 शांति

(1/2 से 1/5) पुत्रगण पुत्रियां स्व. अचाराम — (1/1 से 1/5) जाति ब्राह्मण निवासीगण कल्याणसर नया तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

2. राजस्थान स्टेट जरिये तहसीलदार (राजस्व) तहसील कार्यालय, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
3. उपपंजीयक, पंजीयन कार्यालय, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
4. प्रबन्धक, पंजाब नेशनल बैंक शाखा रीड़ी तहसील श्रीडूंगरगढ़।

—प्रतिवादीगण—

उपस्थितिः—
1. श्री नारायण जोशी अभिभाषक वादिनी।
2. श्री मोहनलाल सोनी अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 1/1 ता 1/5
3. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।

<u>वाद अन्तर्गत धारा 53,88,89,188 आरटीए</u>

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी की ओर से वादपत्र निम्न आधारो पर सादर प्रस्तुत है कि वादीनी के दादा व प्रतिवादी सख्या 1 के पिता पुरखाराम पुत्र उदाराम जाति ब्राहमण की खातेदारी के खेत खसरा नंबर 608 तादादी 48 बिघा 15 बिस्वा ,खसरा नंबर 645 तादादी 47 बिघा 7 बिस्वा खसरा नंबर 786 तादादी 20 बिघा 9 बिस्वा कुल तादादी 116 बिघा 11 बिस्वा वाकेरोही कल्याणसर तहसील श्रीडूंगरगढ मे स्थित है । वादीनी के दादा पुरखाराम की मृत्यु के बाद उपरोक्त खेत की खातेदारी जरिये ईतकाल संख्या 614 दिनांक 5.3.95 भीखाराम,अंचाराम,सुन्दरराम पुत्रगण पुरखाराम जाति ब्राहमण के नाम से बहि.ब. विरासतनं राजस्व रिर्काड मे दर्ज हो गई। संवत 2052 मे उपरोक्त खेत खसरा नंबर 608 तादादी 48 बिघा 15 बिस्वा का नया खसरा नंबर 330 तादादी 48 बिघा 15 बिस्वा व खसरा नंबर 645 तादादी 47 बिघा 7 बिस्वा के नया खसरा नंबर 346 तादादी 47 बिघा 7 बिस्वा तथा खसरा नंबर 786 तादादी 20 बिघा 9 बिस्वा के नया खसरा नंबर 93 तादादी 20 बिघा 9 बिस्वा रोही मौजा कल्याणसर नया तहसील श्रीडूंगरगढ कायम हुए उपरोक्त खेत के सहखातेदार सुन्दराम लावल्द फौत हो गया तो सुन्दरराम के वादगत खेतो मे स्थित 1/3 हिस्सा की खातेदारी जरिये इंतकाल संख्या 185 दिनांक 7.3.2006 [illegible] पुत्रगण पुरखाराम जाति ब्राहमण के नाम से विरासतन राजस्व रिर्काड मे [illegible] हो गई इस प्रकार वादगत खेतो मे भीखाराम ,अचाराम पुत्रगण पुरखाराम जाति ब्राहमण प्रत्येक [illegible] 2 हिस्सा के खातेदार हुए। गत [illegible] मे वादगत खेत खसरा नंबर खसरा नंबर 330 तादादी 48 बिघा 15 [illegible] (जिसके पुराना ख.न. 608 थे) के नया खसरा नंबर क्रमश 4[illegible] तादादी 8.80 हैक्टेयर [illegible]. 428 तादादी 0.73 हैक्टेयर, ख.न. 429 तादादी 2.80 हैक्टेयर कायम हुए व खसरा नंबर 346 तादादी 47 बिघा 7 बिस्वा (जिसके पुराना ख.न. 645 थे) के नया ख.नं. 330 तादादी 11.98 हैक्टेयर कायम हुए तथा खसरा नंबर खसरा नंबर 93 तादादी 20 बिघां 9 बिस्वा (जिसके पुराने ख.न.

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2026.01.21 10:11:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

786 थे) के नया ख.न. 101 तादादी 5.16 हैक्टेयर वाकेरोही कल्याणसर नया तहसील श्रीडूंगरगढ़ कायम हुए। इस प्रकार उपरोक्त वादगत खेतो की खातेदारी वादीनी के पिता भीखाराम के नाम से 1/2 हिस्सा विरासतन राजस्व रिकार्ड दर्ज हुई वादीनी व वादीनी के पिता के मध्य अपने हक अनुसार मौखिक्र पारिवारिक बंटवारा हुआ जिसके अनुसार वादगत खेतो मे वादीनी का 1/4 हिस्सा व वादीनी के पिता का 1/4 हिस्सा तय हुआ उसी अनुसार वादीनी अपने पिता के समय से वादगत खेतो में अपनें 1/4 हिस्सा को कब्जा काश्त करती आई है वर्णित खेत वादीनी के पैतृक खेत है जिस पर जन्म से ही वादीनी का हक व हिस्सा है जिसे छीनने का किसी को कोई अधिकार नही है। पुरखाराम के वादीनी तथा प्रतिवादी संख्या 1 जायज व कानूनी वारिसान है। बादीनी के पिता भीखाराम का दिनांक 26.5.2012 को देहान्त हो चुका है वादीनी की माता चम्पादेवी का भीखाराम से पूर्व ही देहान्त हो चुका है। दावा को समझने के लिए वादीनी के दादा पुरखाराम की वंश वंशावली निम्न प्रकार है–

पुरखाराम
(फौत)

भीखाराम पुत्र (फौत) वादीनी	अचाराम पुत्र (प्रतिवादी संख्या –1)	सुन्दरराम पुत्र लाऔलाद फौत

वादीनी स्वर्गीय पुरखाराम की पौत्री है। वादीनी स्वर्गीय पुरखाराम की मृत्यु के बाद हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 की सारणी के अनुसार पुरखाराम के उतराधिकारी हुई व वादगत खेत मे उतराधिकार अधिनियम के मुताबिक सहदायिक हुई। इस प्रकार वादीनी को वादगत खेतो मे जन्म से ही अधिकार प्राप्त हैं। वादगत खेत वादीनी के दादा पुरखाराम द्वारा अर्जित सम्पति है। हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के मुताबिक दादा की संपति मे पोती का हक व हिस्सा जन्म से ही हो जाता है। वादगत खेतो से संबन्धित वादीनी के पिता भीखाराम द्वारा निषादित किया जांना आशयित परित्याग पत्र दिनांक 8.3.2006 शुरू से ही अवैध, शुन्य व प्रभावहीन है एवं उसे (उक्त परित्याग पत्र) को शुरू से ही अवैध, शुन्य व प्रभावहीन घोषित करवाने की वादिनी अधिकारणी है तथा वादीनी वादगत खेतो के राजस्व रिर्काड मे प्रतिवादी संख्या 1 के साथ अपने 1/4 हिस्से की घोषणा करवाने की कानून अधिकारी है। वादगत उपरोक्त खेतो मे वादीनी अपने पिता भीखाराम के समय से ही अपने हक व हिस्सा को काश्त करती आई है। वादीनी वादगत खेतो मे अपने 1/4 हिस्से को हमेशा से अदल बदल कर काश्त कर अपने परिवार का पालन पोषण करती आई है इसलिए वादीनी अपने हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस विभाजन करवाने की भी अधिकारणी है। इसलिए यह घोषणा व विभाजन का दावा प्रस्तुत किया जा रहा हैं। प्रतिवादी संख्या 1 बहुत ही चालाक व चतुर व्यक्ति है। यह कि प्रतिवादी संख्या 1 ने दिनांक [illegible] को वादिनी को ऐलानिया धमिकिया दी कि वो ख. न. 101 तादादी 5.17 हैक्टेयर, ख.न. [illegible] तादादी 11.98 हैक्टेयर, ख.न. 427 तादादी 8.80 हैक्टेयर, ख.न.428 तादादी [illegible] हैक्टेयर, ख.न. 429 तादादी 2.80 हैक्टेयर वाकेरोही कल्याणसर नया तहसील श्रीडूंगरगढ़ को [illegible] करके रहेगा व वादगत खेतो मे वादीनी के हक व हिस्सा से [illegible] करके रहेगा जिस पर वादिनी ने प्रतिवादी संख्या 1 से कहा कि वादीनी के पिता का 1/4 हिस्सा व वादीनी का 1/4 हिस्सा यानि वादगत खेतो मे हमारे 1/2 हिस्सा को आपको विक्रय करने का कोई अधिकार नही है। तब प्रतिवादी संख्या 1 ने कहा कि तुम्हारे पिता से छल करके मैंने उनके नाम राजस्व रिकार्ड

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2026.01.21 10:11:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

मे दर्ज 1/2 हिस्सा खातेदारी भूमि को अपने नाम जरिये परित्याग पत्र दर्ज करवा ली है और जल्दी ही वादगत खेतो की सम्पूर्ण भूमि को किसी भूमाफिया व्यक्ति को विक्रय कर तुम्हे इन वादगत खेतो से बेदखल कर दुंगा और सदैव के लिए तुम्हे इन वादगत खेतो से वंचित कर दूंगा । तब वादीनी ने कहा कि मैं काश्त के समय वादगत खेतो मे मेरा 1/4 हिस्सा व अपने पिता का 1/4 हिस्सा को काश्त कर किसी तरह अपना व अपने परिवार का गुजारा चलाती हूँ, आप इस पैतृक संपति को नही बैंचे लेकिन वो मानने से साफ इनकार हो गये । तब वादीनी ने प्रतिवादी संख्या 2 व 3 से निवेदन किया कि वो प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादगत खेत के संबन्ध मे प्रस्तुत होने वाले किसी भी लेख्य पत्र को तस्दीक नही करे परन्तु प्रतिवादी संख्या 2 व 3 ने भी वादिनी की बात मानने से स्पष्ट इनकार कर दिया ऐसी स्थिति मे वादीनी के पास प्रतिवादीगण के नाजायज व दोषपूर्ण कार्य को रूकवाने हेतु उन्हे जरिये चिरनिषेधाज्ञा द्वारा वर्जित कराये जाने के अलावा अन्य कोई विकल्प नही बंचा है अन्यथा वो अपने गलत मकसद मे कामयाब हो जायेगे। अतः यही दावे का हेतु है । वादीनी को वादाधार उनके दादा स्व. पुरखाराम की खातेदारी के वादगत खेत होने से प्राप्त है। वादीनी को दिनांक 20.6.2012 को प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा धमकी देने के बाद वादिनी ने अपने खेत से संबन्धित राजस्व रिर्काड की नक्ले तहसील कार्यालय श्रीडूंगरगढ जाकर निकलाई तो पता चला कि वादीनी के पिता भीखाराम के नाम से एक परित्याग पत्र उपपंजियक कार्यालय श्री डूंगरगढ मे दिनांक 8.3.2006 को पंजिकृत हुआ है जिसके द्वारा वादिनी के पिता के नाम से राजस्व रिकार्ड मे दर्ज वादगत खेतो मे 1/2 हिस्सा खातेदारी भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष मे परित्याग किया गया है । यदि इस प्रकार का परित्याग पत्र वादीनी के पिता द्वारा किया गया होता तो वादीनी के पिता वादीनी को इसके बारे मे जरूर बताते । वादिनी को पूर्णतया विश्वास है कि यह परित्याग पत्र वादीनी के पिता द्वारा निष्पादित नही किया गया है या वादीनी के पिता के साथ छल करके यह परित्याग पत्र परिवादिनी के पिता से निष्पादित करवाया गया है जिसके बारे मे विश्वसनीय जानकारी होने पर उसके लिए अलग से फौजदारी या अन्य कानूनी कार्यवाहीया उसके बारे मे दर्ज करवाई जायेगी। वादगत पैतृक खेतो से संबन्धित वादीनी के पिता द्वारा निष्पादित किया जाना आशयित परित्याग पत्र दिनांक 8.3.2006 शुरू से ही अवैध व शुन्य व प्रभावहीन है। वादगत पैतृक खेतो मे वादीनी का जन्म से ही 1/4 हिस्सा अपने पिता के जीवन काल मे अपने पिता के 1/4 हिस्सा के साथ साथ स्थित था इस प्रकार वादीनी के पिता भीखाराम को वादगत खेत मे 1/4 हिस्सा से अधिक भूमि को किसी भी व्यक्ति को हस्तान्तरण करने का कोई कानूनी अधिकार नही था लेकिन इस परित्याग पत्र मे उनके द्वारा 1/2 हिस्सा भूमि कानून के विरूद्ध हस्तान्तरण करने का अंकन है इस प्रकार उपरोक्त वादिनी के पिता द्वारा निष्पादित किया जाना आशयित परित्याग पत्र दिनांक 8.3.2006 शुरू से ही अवैध व शुन्य है जो कानून मे कोई मायना नही रखता है और इस परित्याग पत्र के आधार पर दर्ज इंतकाल संख्या 186 दिनांक 22.6.2006 शुरू से ही अवैध व शुन्य है जबकि कानूनी रूप से वादिनी के पिता भीखाराम वादगत खेत मे 1/4 हिस्सा की भूमि से ज्यादा भूमि को जरिये परित्याग पत्र हस्तान्तरण करने का अधिकार नही रखता था और वादगत खेतो पर वादिनी का शुरू से ही अपने पिता के जीवन काल मे [illegible] काश्त 1/4 हिस्सा पर रहा है। वादगत खेतो का लैण्ड लोर्ड स्टेट है। स्टेट के [illegible] पेश करने हेतु धारा 80 सी. पी.सी. के तहत दो माह का नोटिस [illegible] आवश्य[illegible] । प्रतिवादी संख्या 1 वादगत खेतो मे अपने अकले के नाम से दर्ज [illegible] उठाकर वादीनी को उसके हिस्से पांति से वंचित करने हेतु वादगत खेतो को रहन, [illegible] या दीगर तरीके से मुन्तकिल कर सकते है इसलिए दावा अर्जेन्ट नेचर का होने से तथा स्टेट आवश्यक पक्षकार होने से स्टेट के विरूद्ध दावा पेश करने हेतु धारा 80 (2) सी.पी.सी. के तहत नोटिस की अनिवार्यता से छुट प्राप्ति हेतु अलग से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। वैसे स्टेट के विरूद्ध ऐसी कोई

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2026.01.21 10:11:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

रिलिफ़ नही चाही गई है जो उसके हितो के विरूद्ध हो । वादगत खेतो के संवन्ध मे प्रस्तुत होने वाले लेख्य पत्र का निष्पादन प्रतिवादी संख्या 3 के यहां होना है इसलिए प्रतिवादी संख्या 3 भी यहां आवश्यक पक्षकार है । वादगत खेत प्रतिवादी संख्या 4 के यहां रहन होने के कारण प्रतिवादी संख्या 4 भी आवश्यक पक्षकार है। वादगत खेत रोही कल्याणसर तहसील श्रीडूंगरगढ मे स्थित हैं इसलिए दावा सुनने का क्षेत्राधिकार व श्रंवणाधिकार श्रीमान्जी को प्राप्त है । दावा हर प्रकार से अन्दर मियाद व पूर्ण न्याय शुल्क पर न्यायालय श्रीमान्के समक्ष प्रस्तुत है । अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा बहक वादीनी खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिकी आज्ञाप्त फरमाया जावे—

(क) यह कि घोषित किया जावे कि वादगत खेत वर्तमान ख.न. 101 तादादी 5.17 हैक्टेयर (जिसके पुराने ख.न. 93 है, ख.न. 93 का पुराना ख.न. 786 है), वर्तमान ख.न. 330 तादादी 11.98 हैक्टेयर (जिसके पुराने ख.न. 346 है, ख.न.346 का पुराना ख.न.645 है), वर्तमान ख. न. 427 तादादी 8.80 हैक्टेयर (जिसके पुराने ख.न. 330 है, ख.न.330 का पुराना ख.न. 608 है), वर्तमान ख. न. 428 तादादी 0.73हैक्टेयर (जिसके पुराने ख.न.330 मि. है, ख.न. 330 का पुराना ख.न. 608 है), वर्तमान ख.न. 429 तादादी 2.80 हैक्टेयर(जिसके पुराने ख. न.330 मि. है, ख.न.330 का पुराना ख.न. 608 है) कुल तादादी 29.48 हैक्टेयर वाकेरोही कल्याणसर नया संबन्धित परित्याग पत्र दिनांक 8.3.2006 शुरू से ही अवैध, शुन्य व निष्प्रभावी है तहसील श्रीडूंगरगढ से तथा घोषित किया जावे कि वादगत खेतो मे वादीनी 1/4 हिस्से की पैतृक संपति के आधार पर खातेदार है तथा वादगत खेतो मे प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि मे से 1/4 भाग से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम हटाया जाकर पैतृक संपति के आधार पर वादगत खेतो मे वादीनी के नाम 1/4 भाग की खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जावे ।

(ख) यह कि वादगत खेतो मे वादीनी का 1/4 हिस्सा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस अलग किया जाकर अलग से लगान कायम करवाया जावे तथा तदनुसार राजस्व रिकार्ड मे अंकन करवाया जाकर नक्शा में तरमीम किया जावे तथा उसकी पालना प्रतिवादी संख्या 2 से करवाया जावे ।

(ग) यह कि प्रतिवादीगण को जरिये चिरनिषेधाज्ञा की डिकी सें वर्जित फरमाया जावे कि वो वादगत पैतृक खेत वर्तमान ख.न. 101 तादादी 5.1700 हैक्टेंयर ,वर्तमान ख.न. 330 तादादी 11.9800 हैक्टेयर, वर्तमान ख.न. 427 तादादी 8.8000 हैक्टेयर, वर्तमान ख.न.428 तादादी 0.7300 हैक्टेयर, वर्तमान ख.न. 429 तादादी 2.8000 हैक्टेयर कुल तादादी 29.48 हैक्टेयर वाकेरोही कल्याणसर नया तहसील श्रीडूंगरगढ जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज खातेदारी भमि है। मे वादीनी के 1/4 हिस्सा कब्जा काश्त भूमि मे किसी भी प्रकार से प्रवेश नही करे वादीनी को वादगत पैतृक खेतो मे स्थित अपनी 1/4 हिस्सा भूमि से बेदखल नही करे, वादीनी के हिस्से पांति की भूमि में किसी प्रकार से कोई दखलअन्दाजी पैदा नही करे, ना ही [illegible] वादगत खेतो को किसी व्यक्ति को हस्तान्तति करै, प्रतिवादी संख्या 3 को [illegible] पाबन्द फरमाया जावे कि वो वादगत खेत के संबन्ध मे प्रस्तुत होने वाले किसी भी [illegible] को तस्दीक नही करे, ना ही प्रतिवादीगण ऐसा कोई कृत्य या अपकृत्य करे [illegible] करावे जिससे वादीनी अपने कानूनी अधिकारो से वंचित हो ।

(घ) यह कि खर्चा मुकदमा वादीनी को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2026.01.21 10:11:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

(ङ) यह कि अन्य कोई न्यायोचित अनुतोष जो हितकर वादीनी हो या दौराने दावा हो जावे वह भी वादीनी को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे ।

वादिनी के उक्त वाद को दर्ज रजिस्ट्र किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1/1 ता 1/5 जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाबदावा पेश किया गया। तनकीयात कायम की गई। वादिनी की ओर से साक्ष्यवादी पेश की गई। दौराने साक्ष्यप्रतिवादी उभयपक्षकारान द्वारा राजीनामां पेश किया जाकर निवेदन किया गया कि हम दोनो पक्षों के मध्यलोक अदालत की प्रेरणा से राजीनामा हो गया है जो इस प्रकार से है:-

1. यह कि खेत खसरा नम्बर 101 तादादी 5.1700 हैक्टेयर वाकेरोही ग्राम कल्यासर नया की पूरे रकबा की खातेदार प्रथम पक्ष तारादेवी के नाम से रेवन्यू रिकार्ड मे खातेदारी घोषित कर दी जावे।
2. यह है कि उपरोक्त खेत खसरा नंबर 101 के रकबे के अलावा अन्य वादगत खेत खसरा नंबर 330, 427 व 428, 429 वाकेरोही कल्याणसर नया में प्रथम पक्ष वादिनी का कोई हक व हिस्सा नहीं है। खसरा नंबर 101 के अलावा अन्य खेतो का इन्तकाल द्वितीय पक्ष अचाराम के वारिसानों के नाम दर्ज कर दिया जावे।

उपरोक्त प्रकार से राजीनामा हो गया है जिससे दोनो पक्ष हमेशा के लिए बाध्य रहेगे व रेवन्यु में अंकन कर दिया जावे व दावा का फैसला उपरोक्तानुसार फरमा दिया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। उभयपक्षकारान द्वारा राजीनामें से वाद को स्वीकार किया जाकर अपने वाद में विभाजन का अनुतोष प्राप्त करनें का निवेदन नहीं किया गया है । उभय पक्षकारान द्वारा वाद को राजीनामें अनुसार केवल मात्र घोष्णात्मक आधार पर खेत खसरा नंबर 101 तादादी 5.1700 हैक्टेयर वादिनी के नाम से खातेदारी दर्ज करनें एवं स्व. अचाराम के वारिसान प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/5 के नाम से 330, 427 व 428, 429 वाकेरोही कल्याणसर नया में इंतकाल दर्ज कर निर्णित किये जाने का निवेदन किया गया है। लिहाज़ा उभयपक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामें अनुसार वादी वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

निर्णय

खेत खसरा नंबर 101 तादादी 5.1700 हैक्टेयर वाकेरोही कल्यासर नया की खातेदारी वादीनी के नाम घोषित की जाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन करनें एवं खेत खसरा नंबर 330 तादादी 11.98 हैक्टेयर, खसरा नंबर 427 तादादी 8.80 हैक्टेयर, खसरा नंबर 428 तादादी 0.73 हैक्टेयर, खसरा नंबर 429 तादादी 2.80 हैक्टेयर वाकेरोही कल्याणसर नया में प्रतिवादीगण संख्या 1/1 ता 1/5 के नाम ब.हि.ब हिस्सा विरासतन इंतकाल दर्ज करनें का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें। डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 07.10.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2026.01.21 10:11:05 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

(शुभम शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

अन्तिम डिक्री मुकदमें इन्तदाई
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री डूँगरगढ

पीठासीन अधिकारी शुभम शर्मा आरएएस

उनवान

तारादेवी पुत्री भीखाराम पत्नी बजरंगलाल जाति ब्राह्मण (शर्मा) निवासी कल्याणसर-नया तहसील श्रीडूंगरगढ. हाल श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

बनाम

1.स्व. अचाराम पुत्र पूरखाराम जाति ब्राह्मण निवासी कल्याणसर नया तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
1/1 बादूदेवी पत्नी स्व. अचाराम
1/2 लालूराम
1/3 प्रभूराम
1/4 लिछमा
1/5 शांति
— पुत्रगण पुत्रियां स्व. अचाराम — जाति ब्राह्मण निवासीगण कल्याणसर नया तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
5. राजस्थान स्टेट जरिये तहसीलदार (राजस्व) तहसील कार्यालय, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
6. उपपंजीयक, पंजीयन कार्यालय, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
7. प्रबन्धक, पंजाब नेशनल बैंक शाखा रीड़ी तहसील श्रीडूंगरगढ़।

मुकदमा नम्बर 192/2012
दावा बाबत घोष्णात्क, दुरूस्ती रिकार्ड, चिरनिषेधाज्ञा, विभाजन बाबत्
निर्णय दिनांकः 07.10.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलास कतई रूबरू अदालत बहाजरी श्री नारायण प्रसाद जोशी अधिवक्ता मिनजानिब मुदई व प्रतिवादीगण संख्या 1/1 से 1/5 की ओर से मोहनलाल सोनी मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है किं खेत खसरा नंबर 101 तादादी 5.1700 हैक्टेयर वाकेरोही कल्यासर नया की खातेदारी वादीनी के नाम घोषित की जाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन करने एवं खेत खसरा नंबर 330 तादादी 11.98 हैक्टेयर, खसरा नंबर 427 तादादी 8.80 हैक्टेयर, खसरा नंबर 428 तादादी 0.73 हैक्टेयर, खसरा नंबर 429 तादादी 2.80 हैक्टेयर वाकेरोही कल्याणसर नया में प्रतिवादीगण संख्या 1/1 ता 1/5 के नाम ब.हि.ब हिस्सा विरासतन इंतकाल दर्ज करनें का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार, श्री डूँगरगढ तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करें।

लीज....0......मुबलिग......0........बाबत......0.........खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह...0..फीसदी सालाना आज को जारी.......... तारीख वसूलयाबी.......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज दिनांक 07 माह 10 सन् 2025 को जारी किया गया ।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

(शुभम शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
श्री डूंगरगढ़ (बीकानेर)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1.वाद पत्र के लिए स्टाम्प	0	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0	2. अर्जी के लिए स्टाम्प	0
3..प्रदर्शो के लिए स्टाम्प	0	3. प्लीडर की फीस	0
4.........रूपये पर प्लीडर की फीस	0	4. साक्षियों के लिए निर्वाह भत्ता	0
5.साक्षियों के लिए निर्वाह–भत्ता	0		
6.कमिश्नर की फीस	0	5. [illegible]ी तामिल	0
7.आदेशिका की तामिल	0	6. [illegible]श्नर [illegible] फीस	0
योग	0	योग	0

Signature Not Verified

Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2026.01.21 10:11:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्री डूंगरगढ़
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)